संख्या-10-2025-डीएफए-1138111-38-7005-002-55-2019

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 11-06-2025

विषयः मनरेगा योजनान्तर्गत तकनीकी सहायकों के कार्यस्थल परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा/सेवाप्रदाता के माध्यम से तकनीकी सहायक रखे गये हैं तथा योजना के आरम्भ से वर्तमान तक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं एवं लम्बी अवधि से उनके कार्यस्थल परिवर्तन नहीं किये गये हैं। एक ही स्थान पर कार्मिक तैनात होने से कार्यों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता प्रभावित होती है जिससे योजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-59/38-7-09-10एनआरईजीए/2005, दिनांक 07-01-2009 द्वारा निर्गत अधिसूचना उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी (तृतीय संशोधन) योजना-2009 के बिन्दु

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2 (स्तम्भ-2) के अनुसार योजना के संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

मनरेगा योजनान्तर्गत तकनीकी सहायकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जनपद स्तर से ही निकाला जाता है और चयन के उपरांत **जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा** कार्यस्थल(ब्लाक/ग्राम पंचायत) आवंटित किया जाता है।

3- अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत कार्यरत **तकनीकी सहायक के संबंध में गंभीर शिकायत प्राप्त होने, कार्यात्मक आवश्यकता, जनहित में जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी तकनीकी सहायकों का कार्यस्थल(ब्लाक/ग्राम पंचायत) परिवर्तित कर सकते हैं।**

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासन के पत्र संख्या-346/अड़तीस-7-2020-07नरेगा/2020, दिनांक 17.3.2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

संख्या- 10-2025-डीएफए-1138111-38-7005-002-55-2019तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड बुक।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in